

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय

आदेश

आ०सं०-६ / एन०-०८-३५ / २०२३-१६९(६)

/ पटना-१५, दिनांक-२७/१०/२०२३

विभागीय आदेश ज्ञापांक-254(6), दिनांक-17.02.2023 द्वारा नर्सेंज ट्रेनिंग रिकोग्निशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रॉल्स, 1997 के नियम-4(ii) के आलोक में हिमालया एजुकेशनल ट्रस्ट, दुसाधी पकड़ी, लोहियानगर, कंकडबाग, पटना द्वारा प्रस्तावित हिमालया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम+पोस्ट-चिकसी, थाना-सिगोरी, पालीगंज, पटना को एम०एस०सी० नर्सिंग संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 - विभागीय आदेश ज्ञापांक-564(6), दिनांक-05.04.2023 द्वारा संस्थान को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु डॉ० नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3-विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त हिमालया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम+पोस्ट-चिकसी, थाना-सिगोरी, पालीगंज, पटना को नर्सेंज ट्रेनिंग रिकोग्निशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रॉल्स, 1997 के नियम-4 (iii) के आलोक में एम०एस०सी० (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में (1) Medical & Surgical Nursing -20 (Twenty) (2) Community Health Nursing-10 (Ten) (3) OBG/MCN-20 (Twenty) (4) Pediyatric Nursing -05 (Five) (5) Psychiatric Nursing-05 (Five) कुल-60 (साठ) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:-

- (क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी।
- (ख) नर्सेंज ट्रेनिंग रिकोग्निशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रॉल्स, 1997 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा। भारतीय उपचर्या परिषद की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- (ग) मान्यता इस शर्त के साथ दी जाती है कि असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना द्वारा संस्थान को 650 बेड के अस्पताल संचालन की स्वीकृति दी गयी है तथा इस संबंध में संचालक द्वारा शल्य पत्र भी दिया गया है। संस्थान INC के Super speciality hospital के शर्त को पूरा करता है, इसकी अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- (घ) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।
- (ङ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
- (च) संस्थान बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना-800001 से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।
- (छ) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना (ii) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सदस्य मनोनीत किया जाता है।
- 4 - इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डॉ० अनिल कुमार तिवारी)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : ६ / एन००-०८-३५ / २०२३ । १६९१(६)

पटना दिनांक २७/१०/२०२३

प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, ८वां तल्ल, एन०बी०सी०सी० सेंटर, प्लॉट नं०-२, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज-०१, नई दिल्ली-११००२० / निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना / क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, हिमालया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम+पोस्ट-चिक्सी, थाना-सिगोरी, पालीगंज, पटना-८०१११० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

✓
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।
२७/१०/२०२३